स्पेशल कोर्ट हुए और सख्त, चार बिजली चोरों को भेजा तिहाड़

(1)

- *करोल बाग में पति-पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत*
- *अगले आदेश तक के लिए पति भेजा गया तिहाड़*
- *कर रहे थे 8 किलोवॉट की बिजली चोरी, जुर्माना 2.65 लाख*

(2)

- *गाजीपुर गांव में दो अलग- अलग मामलों में तीन बिजली चोर जेल भेजे गए*
- *तीनों करीब 40 किलोवॉट की बिजली चोरी कर रहे थे, जुर्माना 13 लाख*
- *बिजली चोरों सहित, करीब 50 लोग सुनवाई के वक्त मौजूद*

नई दिल्ली, **25** मई, **2007**। बिजली के स्पेशल कोर्ट बिजली चोरों के खिलाफ और सख्त होते जा रहे हैं। बीवाईपीएल इलाके में काम कर रहे स्पेशल कोर्ट ने चार बिजली चोरों को तिहाड़ जेल का रास्ता दिखा दिया है। तीन मामले गाजीपुर इलाके के हैं, जबकि चौथा मामला करोलबाग इलाके का है, जहां पति- पत्नी दोनों के खिलाफ आरोप है।

1. करोलबागः पति-पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत, पति सलाखों के पीछे

5ए/**205**, गली नंबर-**4 ,** संत नगर, करोलबाग निवासी सुमित उर्फ सुनील को औद्योगिक उपयोग के लिए बिजली की सीधी चोरी करने के आरोप में स्पेशल कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक के लिए जेल भेज दिया है। आरोपी करीब **8** किलोवॉट की बिजली चोरी कर रहा था। इसके लिए उस पर **2** लाख **65** हजार रूपये का जुर्माना किया गया, लेकिन आरोपी ने जुर्माने की रकम अदा नहीं की। इसके बाद पुलिस में पति- पत्नी दोनों के खिलाफ शिकायत की गई।

फिर, मामले को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।

2. गाजीपुरः तीन बिजली चोर भेजे गए तिहाड़ जेल

पटपड़गंज स्थित बिजली के स्पेशल कोर्ट ने गाजीपुर गांव निवासी संजय कपूर, प्रताप चौधरी और बालकिशन शर्मा को **14** दिनों की न्यायिक हिरास में जेल भेज दिया है।

संजय कपूर व प्रताप चौधरी के **71**ए, गाजीपुर गांव स्थित आवास पर बीएसईएस ने अक्टूबर, **2006** में छापा मारा था और उन्हें अपने औद्योगिक कामकाज के लिए बिजली की सीधी चोरी करते हुए पकड़ा था। यहीं, प्रताप चौधरी के बिजली मीटरों की भी जांच की गई थी, जिसमें पाया गया कि एक मीटर के साथ छेड़छाड़ कर उसे स्लो कर दिया गया है। संयुक्त रूप से दोनों आरोपी **35** किलोवॉट से अधिक की बिजली चोरी करते पाए गए। इन दोनों पर कुल **12** लाख रूपये का जुर्माना किया गया। लेकिन आरोपियों ने जुर्माने की रकम अदा नहीं की। इसके बाद बीएसईएस ने कल्याणपुरी थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

अगले पृष्ठ पर जारी...

बीएसईएस व अन्य अधिकारियों को जिस बात से बेहद आश्चर्य हुआ, वह यह कि सुनवाई के वक्त गाजीपुर गांव के करीब **50** लोग कोर्ट परिसर में मौजूद थे। इनमें वे लोग भी शामिल थे, जिनके खिलाफ बीएसईएस ने बिजली चोरी के मामले दर्ज किए हैं। वे यह जानने के लिए आए थे कि कोर्ट बिजली चोरी मामलों में क्या फैसला देता है।

एक दूसरे मामले में स्पेशल कोर्ट ने बी/**14** एबी, रोड नंबर-**4**, गाजीपुर डेयरी फार्म के निवासी बालकिशन शर्मा को भी बिजली चोरी के आरोप में **14** दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है।

बालकिशन को जून, **2006** में मीटर को बायपास करते हुए **4** किलोवॉट से अधिक बिजली की चोरी करते हुए बीएसईएस ने पकड़ा था। उस पर **1.58** लाख रूपये का जुर्माना किया गया था, लेकिल रकम जमा न करने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, कोर्ट में केस फाइल किया गया।

इस बीच, अप्रैल **2006** से अब तक, बीएसईएस इलाके में काम कर रहे स्पेशल कोर्ट्स **160** से अधिक बिजली चोरों को तिहाड़ जेल का रास्ता दिखा दिखा चुके हैं। इन बिजली चोरों ने कुल मिलाकर **2000** से अधिक दिन जेल में गुजारे हैं।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस **9999870/ 9312007822**

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस **39999840/ 9350130304**